न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दशम्, गोपालगंज

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–1216 / 2026

विवेक रंजन उर्फ सोनू मिश्रा एवं अन्य बनाम सरकार

20.07.2026 आवेदक **विवेक रंजन उर्फ सोनू मिश्रा** की ओर से यह वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किया गया है, जिन्हें **यादोपुर थाना कांड सं0–248 / 2025, अंतर्गत धारा–125(b) B.N.S., एवं 25(9), 27 Arms Act** में गिरफ्तारी की आशंका है, उनके विद्वान अधिवक्ता श्री रजनिश कूमार द्विवेदी तथा सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक को सुना।

अभियोजन मामले का संक्षेप में कथन है कि सूचक राधा मोहन पंडित पु0अ0नि0 सह थानाध्यक्ष यादोपुर थाना दिनांक 15.12.2025 को समय 17:30 बजे थाना रिजर्व गार्ड के साथ परिभ्रमण एवं आसूचना संकलन में थाना से प्रस्थान किये। आसूचना संकलन के क्रम में जादोपुर बाजार में था तभी सोशल मीडिया के माध्यम से एक वायरल विडियो प्राप्त हुआ जिसके संदर्भ में वरीय पदाधिकारी को सूचित किया। वरीय पदाधिककारी के आदेशानुसार वायरल विडियो का सत्यापन किया तो पता चला कि यह सोनू मिश्रा पिता कौशल मिश्रा नगर थाना जिला गोपालगंज के हैं तथा वायरल विडियो के अनुसार किसी समारोह में इनके द्वारा अग्नेयास्त्र से यादोपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हर्ष फायरिंग किया गया है। इनके द्वारा किये गये हर्ष फायरिंग से सौहार्द बिगाड़ने एवं वहां उपस्थित भीड़ में किसी व्यक्ति को गोली लगने से इनकार नहीं किया जा सकता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक के द्वारा पूर्व में कोई भी नियमित अथवा अग्रिम जमानत आवेदन न तो इस न्यायालय में दाखिल किया गया है और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया है और न ही लंबित है। आवेदक ने कोई अपराध नहीं किया है वे निर्दोष हैं तथा उन्हें झुठे केस में फंसाया गया है। एक वायरल विडियो के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी बिना ठीक से जांच पड़ताल के सिर्फ आवेदक को परेशान करने और उसे माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मध्यस्थता की कार्यवाही में शामिल होने से रोकने के मकसद से दर्ज करायी गई है। इस मामले में आवेदक को गिरफ्तार करने तथा पूछताछ करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि पूरा मामला दस्तावेजी और इलेक्ट्रानिक सबूतों तथा एक कथित वायरल विडियो के आधार पर है। यदि आवेदक को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे अपूर्णीय नुकसान होगा और वह माननीय उच्च न्यायालय पटना के दिनांक 28.04.2026 के आदेश का पालन करने के अपने अधिकार से वंचित हो जायेगा। आवेदक जांच में सहयोग करेगा तथा माननीय न्यायालय की सभी शर्त को मानने को तैयार है। आवेदक प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त हैं तथा उसके विरूद्ध गैर जमानतीय धाराओं में केस दर्ज किया गया है जिससे गिरफ्तारी की आशंका है इसीलिए आवेदक यह अग्रिम जमानत आवेदन दाखिल किए हैं। आवेदक उचित बंधपत्र दाखिल करने

लगातार

20.07.2026

को तैयार हैं। अतः अग्रिम जमानत पर मुक्त करने की कृपा की जाए।

सरकार की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक के द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया है।

उभयपक्षों को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त केस की प्राथमिकी एकमात्र आवेदक के विरूद्ध धारा–125(b) B.N.S., 25(9), 27 Arms Act दर्ज कराया गया है। आवेदक पर आरोप है कि इन्होंने किसी समारोह में हर्ष फायरिंग किया जिसका विडियो वायरल हुआ था तथा इससे किसी को क्षति भी हो सकती थी। केस डायरी की कंडिका 2, 3, 4 एवं 6 में साक्षी का बयान है। कोई भी साक्षी हर्ष फायरिंग का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। सभी साक्षी पुलिस बल के सदस्य है। कोई भी शस्त्र की बरामदगी नहीं हुई है। किसी व्यक्ति के आहत या जख्मी होने का भी उल्लेख काण्ड दैनिकी में नहीं है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए आवेदक **विवेक रंजन उर्फ सोनू मिश्रा** को इस आदेश के 15 दिनों के अंदर गिरफ्तारी अथवा आत्मसमर्पण की दशा में 10,000/–रुपये के समान राशि के दो प्रतिभू का बंधपत्र दाखिल करने के उपरांत एवं भा0ना0सु0सं0 की धारा–482(2) के प्रावधानों के शर्तों को पालन करते हुए अग्रिम जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया जाता है। आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन एतद्द्वारा **स्वीकृत** किया जाता है।

लेखापित
ह0/–राजेश कुमार वर्मा
अपर सत्र न्यायाधीश, दशम्
गोपालगंज

ज्ञापांक–..... दिनांक–.....
प्रतिलिपिः– न्यायालय, अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दशम्, गोपालगंज को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सत्र न्यायाधीश–दशम्,
गोपालगंज